



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/21

### ::आदेशः

क्रमांक/275/स्था0/कोविड-19/2021, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/506/आरडीएम/कोविड-19/2021 सिंगरौली दिनांक 06 अप्रैल, 2021 द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु म0प्र0 शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सिंगरौली जिले में नगर पालिक निगम सिंगरौली अंतर्गत **Rapid Response Team** का पुर्नगठन किया जाकर श्री डी.के. सिंह सहायक यंत्री नगर पालिक निगम सिंगरौली की डियूटी आर.आर.टी क्षेत्र वार्ड क्र0 12 से 19 तक में लगाई गई थी। दिनांक 05.05.2021 को निरीक्षण के दौरान श्री सिंह कर्तव्य से अनुपस्थित पाये गये है। श्री डी.के. सिंह, सहायक यंत्री नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा सौंपे गये कार्य के प्रति लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना तथा कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कर्तव्य के प्रति उदाशीनता बरती गई है।

श्री सिंह सहायक यंत्री का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

अतः श्री डी.के. सिंह, सहायक यंत्री नगर पालिक निगम सिंगरौली को कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला सिंगरौली नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(राजीव रंजन मीना)

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/2021

पृ.क्रमांक/276 /स्था./कोविड-19/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
4. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर कोविड-19, उपखण्ड सिंगरौली, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधित आर.आर.टी. प्रभारी वार्ड क्र0 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एवं 19 जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
6. श्री डी.के. सिंह, सहायक यंत्री नगर पालिक निगम सिंगरौली, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/21

### ::आदेश::

क्रमांक/277 /स्था0/कोविड-19/2021, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/323/कोविड-19/2021 सिंगरौली दिनांक 02.05.2021 द्वारा सिंगरौली जिले में नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव एवं प्रसार की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उसके बचाव एवं रोकथाम तथा सघन जाँच कार्यवाही किये जाने हेतु स्थापित चेक पोस्ट जयंत, थाना विन्ध्यनगर में श्री रघुनाथ चौधरी, प्रधानाध्यापक जिला सिंगरौली की डियूटी सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक लगाई गई है। दिनांक 05.05.2021 को स्थापित चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें श्री चौधरी कर्तव्य स्थल में अनुपस्थित पाये गये है। श्री चौधरी द्वारा कर्तव्य में उपस्थित न होकर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना तथा कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कर्तव्य के प्रति उदाशीनता बरती गई है।

श्री चौधरी, प्रधानाध्यापक का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

अतः श्री रघुनाथ चौधरी, प्रधानाध्यापक जिला सिंगरौली को कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिंगरौली नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(राजीव रंजन मीना)

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/2021

पृ.क्रमांक/278 /स्था./कोविड-19/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
4. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर कोविड-19, उपखण्ड सिंगरौली, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री रघुनाथ चौधरी, प्रधानाध्यापक जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/2021

### ::आदेश::

क्रमांक/ 279/स्था0/कोविड-19/2021, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/323/कोविड-19/2021 सिंगरौली दिनांक 02.05.2021 द्वारा सिंगरौली जिले में नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव एवं प्रसार की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उसके बचाव एवं रोकथाम तथा सघन जाँच कार्यवाही किये जाने हेतु स्थापित चेक पोस्ट जयंत, थाना विन्ध्यनगर में श्री रामाधार रजक, माध्यमिक शिक्षक जिला सिंगरौली की डियूटी सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक लगाई गई है। दिनांक 05.05.2021 को स्थापित चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें श्री रजक कर्तव्य स्थल में अनुपस्थित पाये गये है। श्री रजक द्वारा कर्तव्य में उपस्थित न होकर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना तथा कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कर्तव्य के प्रति उदाशीलता बरती गई है।

श्री रजक, माध्यमिक शिक्षक का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

अतः श्री रामाधार रजक, माध्यमिक शिक्षक जिला सिंगरौली को कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री रजक का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिंगरौली नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(राजीव रजन मौना)

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/2021

पृ.क्रमांक/ 280 /स्था./कोविड-19/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
4. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर कोविड-19, उपखण्ड सिंगरौली, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री रामाधार रजक, माध्यमिक शिक्षक जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/2021

### ::आदेश::

क्रमांक/281/स्था0/कोविड-19/2021, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/323/कोविड-19/2021 सिंगरौली दिनांक 02.05.2021 द्वारा सिंगरौली जिले में नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव एवं प्रसार की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उसके बचाव एवं रोकथाम तथा सघन जाँच कार्यवाही किये जाने हेतु स्थापित चेक पोस्ट जयंत, थाना विन्ध्यनगर में श्री अनिल कुमार सिंह, वनरक्षक जिला सिंगरौली की डियूटी सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक लगाई गई है। दिनांक 05.05.2021 को स्थापित चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें श्री सिंह कर्तव्य स्थल में अनुपस्थित पाये गये है। श्री सिंह द्वारा कर्तव्य में उपस्थित न होकर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना तथा कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कर्तव्य के प्रति उदाशीलता बरती गई है।

श्री सिंह वनरक्षक का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

अतः श्री अनिल कुमार सिंह, वनरक्षक जिला सिंगरौली को कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय कार्यालय वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली, जिला सिंगरौली नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(राजीव रंजन मीना)

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/2021


पृ.क्रमांक/282/स्था./कोविड-19/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सिंगरौली, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
4. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर कोविड-19, उपखण्ड सिंगरौली, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री अनिल कुमार सिंह, वनरक्षक जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/2021

### ::आदेश::

क्रमांक/283 /स्था0/कोविड-19/2021, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/323/कोविड-19/2021 सिंगरौली दिनांक 02.05.2021 द्वारा सिंगरौली जिले में नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव एवं प्रसार की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उसके बचाव एवं रोकथाम तथा सघन जांच कार्यवाही किये जाने हेतु स्थापित चेक पोस्ट गनियारी आउटर, थाना कोतवाली बैद्वन में श्री संजीव बैगा, प्राथमिक शिक्षक जिला सिंगरौली की डियूटी सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक लगाई गई है। दिनांक 05.05.2021 को स्थापित चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें श्री बैगा कर्तव्य स्थल में अनुपस्थित पाये गये है। श्री बैगा द्वारा कर्तव्य में उपस्थित न होकर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना तथा कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कर्तव्य के प्रति उदाशीलता बरती गई है।

श्री बैगा, प्राथमिक शिक्षक का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

अतः श्री संजीव बैगा, प्राथमिक शिक्षक जिला सिंगरौली को कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री बैगा का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिंगरौली नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(राजीव रंजन मीना)

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/2021


पृ.क्रमांक/284 /स्था./कोविड-19/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
4. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सह इन्सिडेन्ट कमाण्डर कोविड-19, उपखण्ड सिंगरौली, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री संजीव बैगा, प्राथमिक शिक्षक जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

ेसिंगरौली, दिनांक 05/05/2021

### ::आदेश::

क्रमांक/285/स्था0/कोविड-19/2021, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/323/कोविड-19/2021 सिंगरौली दिनांक 02.05.2021 द्वारा सिंगरौली जिले में नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव एवं प्रसार की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उसके बचाव एवं रोकथाम तथा सघन जाँच कार्यवाही किये जाने हेतु स्थापित चेक पोस्ट गनियारी आउटर, थाना कोतवाली बैढ़न में श्री निर्दोष टोप्पो, प्राथमिक शिक्षक जिला सिंगरौली की डियूटी सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक लगाई गई है। दिनांक 05.05.2021 को स्थापित चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें श्री टोप्पो कर्तव्य स्थल में अनुपस्थित पाये गये है। श्री टोप्पो द्वारा कर्तव्य में उपस्थित न होकर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना तथा कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कर्तव्य के प्रति उदाशीनता बरती गई है।

श्री टोप्पो, प्राथमिक शिक्षक का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

अतः श्री निर्दोष टोप्पो, प्राथमिक शिक्षक जिला सिंगरौली को कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री टोप्पो का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिंगरौली नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(राजीव रंजन मीना)

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/2021

पृ.क्रमांक/ 286 /स्था./कोविड-19/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
4. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर कोविड-19, उपखण्ड सिंगरौली, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. श्री निर्दोष टोप्पो, प्राथमिक शिक्षक जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/2021

### ::आदेश::

क्रमांक/287/स्था0/कोविड-19/2021, कार्यालयीन आदेश क्रमांक/311/कोविड-19/2021 सिंगरौली दिनांक 26.04.2021 द्वारा सिंगरौली जिले में नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव एवं प्रसार की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उसके बचाव एवं रोकथाम तथा सघन जाँच की कार्यवाही किये जाने हेतु स्थापित चेक पोस्ट गनियारी आउटर, थाना कोतवाली बैढ़न में श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, वनरक्षक जिला सिंगरौली की डियूटी सुबह 7:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक लगाई गई है। दिनांक 05.05.2021 को स्थापित चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया जिसमें श्री पाण्डेय कर्तव्य स्थल में अनुपस्थित पाये गये है। श्री पाण्डेय द्वारा कर्तव्य में उपस्थित न होकर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश/निर्देशों की अवहेलना तथा कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में कर्तव्य के प्रति उदाशीलता बरती गई है।

श्री पाण्डेय, वनरक्षक का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है, जो म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 में प्रावधानित नियमों के प्रतिकूल होने से म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।

अतः श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, वनरक्षक जिला सिंगरौली को कोरोना वायरस (Covid-19) जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय का मुख्यालय कार्यालय वन मण्डल अधिकारी जिला सिंगरौली नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(राजीव रंजन मीना)

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)

सिंगरौली, दिनांक 05/05/2021

पृ.क्रमांक/ 288 /स्था./कोविड-19/2021

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सिंगरौली, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
3. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
4. उपखण्ड मजिस्ट्रेट सह इन्सीडेन्ट कमाण्डर कोविड-19, उपखण्ड सिंगरौली, जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अनुविभागीय अधिकारी वन, वन परिक्षेत्र सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
6. श्री प्रदीप कुमार पाण्डेय, वनरक्षक जिला सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर

जिला-सिंगरौली (म0प्र0)